



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

33

क0 निगरानी

/2018 जिला-पन्ना 4640

निगरानी-~~4640~~/2018/पन्ना/22503

1-लटोरा पिता महंगू अहिरवार

2-कमलेश पिता लटोरा चमार

निवासीगण ग्राम गुमानगंज तहसील

अजयगढ़ जिला पन्ना म0प्र0

—आवेदकगण

विरुद्ध

ओमप्रकाश चौबे पिता दीनदयाल चौबे

निवासी ग्राम गुमानगंज तहसील

अजयगढ़ जिला पन्ना म0प्र0

—अनावेदकगण

श्री राजनी अशिका शर्मा  
26/7/18 22503  
6-8-18  
कलकत्ता कोर्ट 26-7-18  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

R. V. S.  
26/7/18

निगरानी आवेदन पत्र म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत विरुद्ध आदेश दिनांक 02.01.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 544/अ-19/2010-11/निगरानी.

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण को भूमिहीन होने के कारण तथा 1984 के पूर्व से खसरा नम्बर 170 एवं 175 पर कमलेश का तथा खसरा नम्बर 168, 169 एवं 171 पर लटोरा का कब्जा होने के कारण तहसीलदार अजयगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 175/अ-19/90-91 में लटोरा को तथा प्रकरण कमांक 178/अ-19/90-91 में आवेदक कमलेश को विधिवत प्रक्रिया

(2)

①

R-4640/18 - पत्र  
लेश / लोकप्रदा

PO

21-8-18

डाक्टर कनि. श्रीमती रजनी  
वशिष्ठ शर्मा उषा।  
प्रबल कामी हुए।

CF-27-8-18

आचार्य  
G.M.

27/8/18  
R.V.S.

27-8-18

आपेक्षक आचार्य श्रीमती रजनी वशिष्ठ  
शर्मा उषा / काइया पत्र तर्क सुने /  
प्रकरण आदिपार्थ /

by  
वशिष्ठ

R.V.S.  
27/8/18

28/8/18: ① प्रकरण प्रस्तुत / विनांक 27/8/18 को आवेदनपत्र

के आदिपार्थक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा  
के तर्क सुने गये / निगरानी में मो व अखीरस्थ  
न्यायकाल पर आभुक्त के द्वारा निगरानी में पारित आवेदन  
दिनांक 02.01.2018 का अवलोकन किया गया।

(2) म.प. कृ.सं. संविता 1959 की धारा 50 के  
अन्तर्गत पुनरीक्षण में पारित आवेदन के विरुद्ध पुनः  
निगरानी सुनने का प्रावधान नहीं होने के  
कारण निगरानी आवेदन अग्रहण किया  
जाता है।

by  
28/8/18

3